दुमका में दो दिवसीय सम्मेलन और अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, विरेन्द्र सिंह ने विवाद निबटारे के दिए कई टिप्स

मध्यस्थता में विश्वास जरूरी: चीफ जस्टिस

दुमका | प्रतिनिधि

झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि त्वरित न्याय दिलाने में मध्यस्थों की भूमिका अहम है। मुख्य न्यायाधीश शनिवार को दुमका में मध्यस्थों के दो दिवसीय सम्मेलन और अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जस्टिस सिंह ने कहा कि मध्यस्थों में दोनो पक्षों का विश्वास बना रहना सबसे महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि विवादों में राष्ट्र का महत्वपूर्ण मानव संसाधन अपना कीमती समय गंवाता है। विवाद का मुख्य कारण दोनों पक्षों का स्थिर या जड़ मनोवृत्ति होती है। विवादित पक्षकारों की मानसिक पुर्वाग्रह को मनोवैज्ञानिकता से बाहर निकालना मध्यस्थों की सबसे बड़ी चुनौती है। अपने परिवार में भाई बहनों के बीच विवाद होने पर मां की मध्यस्थ भूमिका एक सटीक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विवाद के बारे में मध्यस्थ को अच्छी तरह पता होने के साथ-साथ विवादी के मनः स्थिति को भी ठीक से समझना होगा। अन्यथा मध्यस्थता असफल हो सकती है।

किसी भी विवाद की मध्यस्थता करने से पूर्व विवाद के असली जड़ को समझना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड में मध्यस्थता के द्वारा विवादों के निपटाये जाने के की संख्या पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस पीपी भट्ट ने भी संबोधित किया। अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड 36 मध्यस्थों को दो दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है।

मध्यस्थों के सम्मेलन और अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित चीफ जस्टिस विरेन्द्र सिंह, डीएन पटेल और पीपी भट्ट।

संताली रीति रिवाज के अनुसार अतिथियों का किया गया स्वागतः अतिथियों का एमानुएल सोरेन के नेतृत्व में पारम्परिक संताली रीति लोटा पानी तथा पायका नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर विधिवत रूप से मध्यस्थों के सम्मेलन एवं अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया।

चीफ जस्टिस सहित अन्य न्यायाधीशों को दिया गया स्मृति चिन्हः इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आये मध्यस्थ अधिवक्ताओं के द्वारा अतिथियों को मध्यस्थता पर लिखी गई पुस्तक भेंट की गई।

न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को, न्यायमूर्ति पीपीभट्ट ने न्यायमूर्ति डीएन पटेल को, झालसा के सचिव नवनीत कुमार ने न्यायमूर्ति पीपीभट्ट को, उप सचिव झालसा संतोष कुमार ने उपायुक्त दुमका राहुल कुमार सिन्हा को, सचिव डीएलएस अमरेश कुमार ने पीडीजे रामधारी यादव को एवं एसडीजेएम सचिन्द्र बरूवा ने दुमका बारऐसोसिएसन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा को स्मृति चिह्न प्रदान किया।

जादो पटिया चित्रकला अंकित अंग वस्त्र किया प्रदानः जिला उद्योग केन्द्र की जादो पटिया चित्रकला के कलाकार शिखा आनन्द ने अतिथियों को जादो पटिया चित्रकला अंकित अंग वस्त्र प्रदान किया।

कौन-कौन थे मौजूदः इस अवसर पर टीओटी एमसीपीसी निशा सक्सेना एवं नगीना जैन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, एडीसनल सोलिसिटर जनरल झारखड उच्च न्यायालय राजीव सिन्हा, दुमका के पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला, डीजे-1 एके मिश्रा, डीजे-2 वीरेन्द्र प्रताप, डीजे-3 आशुतोष दुबे, सीजेएम राधा कृष्णा, सचिव डीएलएसए अमरेश कुमार, एसीजेएम एसएन मिश्रा, झारखण्ड स्टेट बार काउंसेलिंग के

विवादों को निपटाने में झारखंड आगे: डीएन पटेल

मध्यस्थों के सम्मेलन एवं अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के दस मध्यस्थता केन्द्रों में से दो केन्द्र झारखंड राज्य को मिले हैं तथा मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाने में झारखंड राज्य की प्रगति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में विवादों के निपटाने में कम खर्चिला और स्थाई ईलाज है। कहा कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध जीतने के बाद भी विजेता खुद को हारा हुआ और हारने वाला स्वयं को जीता हुआ महसूस करते है। कलिंग युद्ध और रामायण का लंका युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विवाद निपटारा में मध्यस्थता आसान तरीका: पीपी भट्ट

कार्यशाला को संबोधित करते हुए झरखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह दुमका के जोनल जज पीपी भट्ट ने बताया कि यह झारखंड का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मध्यस्थता के द्वारा विवादों के निपटारा समय की मांग है। विवादों के निष्पादन में मध्यस्थता सबसे प्रचलित तरिका के रूप में सामने आया है। कार्यशाला को झारखंड बार एसोसिएशन के सचिव राजीव रंजन ने भी सम्बोधित किया। स्वागत सम्बोधन दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया तथा मंच का संचालन क्षेत्रीय उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, दुमका अजय नाथ झा ने किया।

अध्यक्ष राजीव रंजन एवं उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, दुमका बार एसोसियेसन के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा एवं विभिन्न जिलों से आये मध्यस्थ अधिवक्ता गण उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंहासिनी कुमारी, सुमिता सिंह, स्मिता आनन्द, मदन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बार एसोसिएशन पहुंचे चीफ जस्टिस विरेन्द्र सिंह

दुमका। शनिवार को चीफ जस्टिस वीरेन्द्र सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, हाई कोर्ट के जस्टिस सह दुमका के जोनल जज पीपी भट्ट थोड़ी देर के लिए जिला बार एसोसिएशन के भवन में पहुंचे। साथ में झारखंड स्टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन और दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा भी थे।

चीफ जस्टिस को अपने बीच पा कर दुमका के अधिवक्ता काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर फोटो सेशन किया गया। अधिवक्ताओं ने बार एसोसियेशन के शताब्दी कार्यक्रम में उनके आने पर आभार प्रकट किया। अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा को बधाई दी।

प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए पौधरोपण: विरेन्द्र

शनिवार को परिसदन में पौधरोपन करते मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य।

जामताड़ा | प्रतिनिधि

झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह, जस्टिस डीएन पटेल तथा जस्टिस पीपी भट्ट ने शनिवार को दुमका से लौटने के क्रम में कुछ समय के लिए जामताड़ा में रुके।

इस दौरान सर्किट हाउस में मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान जिला जज से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने परिसदन परिसर में पौधरोपन भी किया। पौधरोपन के बाद उन्होंने कहा कि हरेक इनसान को पौधरोपन करना चाहिए। ताकि झारखंड हरा भरा रह सके। इस दौरान उन्होंने यहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्य न्यायाधीश लगभग एक घंटे तक जामताड़ा में रुके। उसके बाद रांची के लिए प्रस्थान कर गए।

मुख्य न्यायाधीश के जामताड़ा आगमन पर सर्वप्रथम सजेन्टमेजर आनंद राज खलको द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई।

मौके पर प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि, डीसी सुरेन्द्र कुमार, एसपी मनोज कुमार सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह, जिला जज प्रथम विजय कुमार, जिला जज द्वितीय सिदार्थ मंडल, सीजेएम एसएस फातमी, एसीजेएम सुजीत कुमार सिंह, एसडीजेएम चौधरी एहसान मोईज, रजिस्टर मनोरंजन कुमार, डीडीसी कुमार मिथिलेश, भूअर्जन पदाधिकारी हेमा प्रसाद, एनडीसी प्रवीण चौधरी, सबन गुड़िया, देवाशिष कुमार सिंह सहित काफी संख्या में पुलिस के पदाधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम

- चीफ जस्टिस ने यहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली
- एक घंटे रुकने के बाद रांची के लिए हुए रवाना

प्रभात खबर 27/9/20

कार्यशाला . मध्यस्थों के सम्मेलन व अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला में बोले चीफ जस्टिस

मध्यस्थता में दोनों पक्षों का विश्वास 3

विवादों में महत्वपूर्ण मानव संसाधन गंवाता है अपना कीमती समय

शनिवार को दुमका में आयोजित मध्यस्थों के सम्मेलन व अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, मौजूद जस्टिस पीपी भट्ट, डीएन पटेल व अन्य न्यायिक पदाधिकारी.

चीफ जस्टिस ने कहा

- भाई बहनों के बीच के विवाद को मां द्वारा मध्यस्थता कर निबटारे की प्रक्रिया सबसे सटीक उदाहरण
- मध्यस्थता के समय विवादी की मन: स्थिति को समझना जरूरी

मध्यस्थता केन्द्रों में कम खर्चों में होता है विवादों का निबटारा

कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के दस मध्यस्थता केन्द्रों में से दो केन्द्र झारखंड राज्य को मिले हैं तथा मध्यस्थता द्वारा विवादों को निबटाने में झारखंड राज्य की प्रगति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है . मध्यस्थता विवादों के निबटाने का कम खर्चिला और स्थाई इलाज है . उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध जीतने के बाद भी विजेता खुद को हारा हुआ और हारने वाला स्वयं को जीता हुआ महसूस करते है . कलिंग युद्ध और रामायण का लंका युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है .

दुमका बार भी पहुंचे मुख्य न्यायाधीश

दुमका कोर्ट . दुमका जिला अधिवक्ता संघ के शताब्दी समारोह के दूसरे दिन शनिवार को रांची हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, न्यायाधीश पीपी भट्ट, न्यायाधीश डीएन पटेल, बार काउंसिल ऑफ झारखंड के चेयरमैन राजीव रंजन दुमका बार पहुंचे . वहां वे अधिवक्ताओं से मिले और उनसे बातचीत की . इन्होंने अधिवक्ताओं के साथ स्मृतियां संजोने के लिए फोटो भी खिचवायी . बार के सचिव सुबोध चंद्र मंडल ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश का आना और अधिवक्ताओं के बीच बैठकर फोटो खिंचवाने से उनकी सादगी और अधिवक्ताओं से प्रेम होना साबित करता है . अध्यक्ष गोपेश्वर झा ने कहा कि यह दुमका बार के लिए गौरव की बात है कि हमलोगों के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि रांची हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह शनिवार को दुमका बार में आकर अधिवक्ताओं से मिलकर सबो को गौरवान्वित किया .

झारखंड में मिल रहे बेहतर नतीजे : पटेल

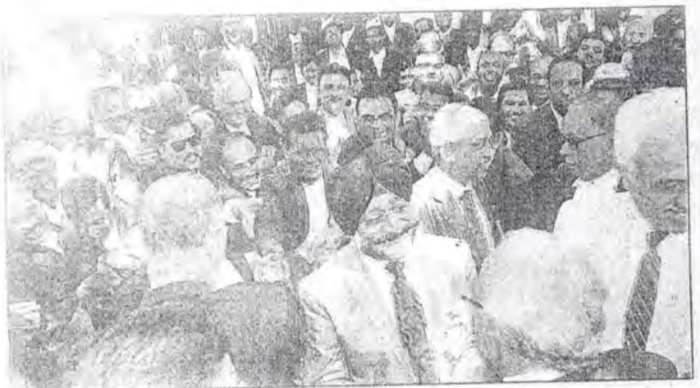

[illegible] सुख्य न्यायाधीश वीरेंद सिंह, कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य।

जागरण

अधिवक्ताओं ने समस्याओं से कराया अवगत

दुमका : दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन के बाद चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, दुमका बार एसोसिएशन भवन पहुंचे। यहां की उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत की। अधिक्ताओं ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर दुमका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा, सचिव सुबोधचंद्र मंडल, विजय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिन्हा, मनोज साह, विद्यापति झा, राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

[illegible]

निपटाए जा रहे नतीजे अत्यंत ही सुखद हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी यहां की सफलता से प्रभावित है।

जस्टिस पटेल ने कहा कि वर्ष 2013 में मध्यस्थता के माध्यम से रांची में 48.60 एवं जमशेदपुर 51.34 फीसद मामले निपटाए गए थे। वर्ष 2014 में यह आंकड़ा बढ़ गया है। रांची में 50.62 एवं जमशेदपुर में 54.68 फीसद मामले निपटाए गये। वर्ष 2015 के अगस्त तक रांची में 58.68 फीसद रांची में एवं 52.87 फीसद जमशेदपुर में मामले निष्पादित किए गए हैं। जबकि पूरे राज्य में मामलों को निष्पादित करने का औसत 45.65 फीसद है। इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है।

भविष्य की योजनाओं की चर्चा करते हुए जस्टिस पटेल ने कहा कि जागरूकता के लिए पायलट प्रोग्राम के अलावा सामुदायिक झगड़ों का निष्पादन, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष मेडियेशन ट्रेनिंग, चैंबर ऑफ कामर्स के सदस्यों के लिए मेडियेशन ट्रेनिंग एवं पारिवारिक विवादों पर विशेष प्रशिक्षण को धरातल पर उतारने की दिशा गंभीरता से पहल होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह दुमका के जोनल जज पीपी भट्ट ने कहा कि यह झारखंड का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारा समय की मांग है। विवादों के निष्पादन में मध्यस्थता सबसे प्रचलित तरीका के रूप में सामने आया है।

झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष सचिव राजीव रंजन ने भी संबोधित किया। स्वागत संबोधन पीडीजे रामधारी यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। संचालन क्षेत्रीय उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क दुमका अजयनाथ झा ने किया। मौके पर झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल, दुमका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा समेत कई गण्यमान्य उपस्थित थे। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली से आई ट्रेनर निशा सक्सेना एवं नगीना जैन राज्य के विभिन्न जिलों से आए 36 अधिवक्ताओं को रविवार तक प्रशिक्षण देंगी।

परंपरागत तरीके से हुआ स्वागत

दुमका : प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने दुमका समाहरणालय पहुंचे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, जस्टिस डीएन पटेल एवं पीपी भट्ट को परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। अतिथियों का सेपलिंग अंकुरित बाल पौधा देकर किया गया। एमानुएल सोरेन के नेतृत्व में पारंपरिक संताली रीति से पानी भरा लोटा लेकर व पायका नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न जिलों से आये मध्यस्थ अधिवक्ताओं द्वारा अतिथियों को मध्यस्थता पर लिखी गई पुस्तक भी भेंट की गई। अतिथियों को स्मृतिचिन्ह भेंट किया गया। जिला उद्योग केंद्र की जादोपटिया चित्रकला के कलाकार शिखा आनंद ने अतिथियों को जादोपटिया चित्रकला अंकित अंगवस्त्र प्रदान किया। टीओटी एमसीपीसी निशा सक्सेना एवं नगीना जैन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, एडिशनल सालिसिटर राजीव सिन्हा, दुमका के पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला, डीजे एके मिश्रा, डीजे वीरेन्द्र प्रताप, डीजे आशुतोष दुबे, सीजेएम राधा कृष्णा, सचिव डीएलएसए अमरेश कुमार, एसीजेएम एसएन मिश्रा, संतोष कुमार, रामधारी यादव, सविंद्र बरूवा, किरण तिवारी, मनीषा रानी, रजनी मिश्रा, मानसी मुखर्जी, कुमार प्रभात, अल्पना वर्मा, मधुसूदन गांगुली, राजेंद्र ब्रसईवाला समेत कई गण्यमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंहासिनी कुमारी, सुमिता सिंह, रिमता आनंद, मदन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इंडियन पंच 27 Sep

मुख्य न्यायाधीश ने कार्यशाला के दौरान दी नसीहत

मध्यस्थता से निपटते हैं बड़े-बड़े मामले

[दुमका/राज कु उपाध्याय]

झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश-सह-झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के प्रधान संरक्षक न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने समाहरणालय सभागार में मध्यस्थों के सम्मेलन एवं अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि मध्यस्थता के लिए पक्षकारों की मनोदशा को समझना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान कृष्ण ने कौरवों और पाण्डवों के बीच मध्यस्थता की थी पर उसमें असफल रहे थे जिसका नतीजा महाभारत हुआ पर उन्होंने कोशिश जरूर की थी। मध्यस्थों को एडवांस ट्रेनिंग का महत्त्व बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोतीराम बनाम अशोक राम मामले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि मध्यस्थता असफल हो जाती है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है कि मध्यस्थता में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि

शेष पेज 11 पर

सन्मार्ग संथाल/झारखंड 27 Sep

[illegible] के सम्मेलन एवं अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन

[illegible]न्याय दिलाने में मध्यस्थों की [illegible]भूमिका अहम : चीफ जस्टिस

[illegible] न्याय दिलाने में [illegible] कि भूमिका अहम है। [illegible] दोनों पक्षों का विश्वास [illegible] उससे महत्वपूर्ण है। [illegible] उच्च न्यायालय के मुख्य [illegible] सह झारखण्ड राज्य [illegible] सेवा प्राधिकार के प्रधान [illegible] न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने दिन [illegible] को समाहरणालय सभागार, [illegible] में मध्यस्थों के सम्मेलन एवं [illegible] प्रशिक्षण कार्यशाला के [illegible] सत्र में बतौर मुख्य अतिथि [illegible] बातें कही।

[illegible]न्होंने कहा विवादों में राष्ट्र का [illegible]पूर्ण मानव संसाधन खर्च होता [illegible] विवाद का मुख्य कारण दोनों पक्षों [illegible] स्थिर या जड़ मनोवृत्ति होता है। [illegible] पक्षकारों के मानसिक [illegible] को मनोवैज्ञानिकता से बाहर [illegible] मध्यस्थों के लिये सबसे [illegible] चुनौती है। मुख्य न्यायाधीश ने [illegible] में मध्यस्था के द्वारा विवादों [illegible] जाने के आंकड़ों पर संतोष [illegible] किया।

[illegible] कार्यशाला को सम्बोधित करते [illegible] झारखण्ड राज्य विधिक सेवा [illegible] के अध्यक्ष सह झारखण्ड [illegible] न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि सुप्रिम कोर्ट द्वारा देश के दस मध्यस्थता केन्द्रों में से दो केन्द्र झारखण्ड राज्य को मिले हैं तथा मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाने में झारखण्ड राज्य की प्रगति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। मध्यस्थता विवादों के निपटाने का कम खर्चिला और स्थाई इलाज है।

उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध जीतने के बाद भी विजेता खुद को हारा हुआ और हारने वाला स्वयं को जीता हुआ महसूस करते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह दुमका के जोनल जज पीपी भट्ट ने कहा कि यह झारखण्ड का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मध्यस्थता के द्वारा विवादों का निपटारा समय की मांग है। कार्यशाला को झारखण्ड बार ऐसोसिएशन के सचिव राजीव रंजन ने भी सम्बोधित किया। स्वागत सम्बोधन पीडीजे, रामधारी यादव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया तथा मंच का संचालन क्षेत्रीय उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, दुमका अजय नाथ झा ने किया।

अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से मध्यस्थों के सम्मेलन एवं अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया।इस अवसर पर टीओटी, एम सीपीसी निशा सक्सेना व नगीना जैन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, एडीसनल सोलिसिटर जनरल झारखण्ड उच्च न्यायालय राजीव सिन्हा, दुमका के पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला, डीजे 1 एके मिश्रा, डीजे 2 वीरेन्द्र प्रताप, डीजे 3 आशुतोष दुबे, सीजेएम राधा कृष्ण, सचिव डीएलएसए अमरेश कुमार, एसीजेएम एसएन मिश्रा, झारखण्ड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन एवं उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, दुमका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा एवं विभिन्न जिलों से दुमका पहुंचे मध्यस्थ अधिवक्ता गण उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंहासिनी कुमारी, सुमिता सिंह, स्मिता आनन्द, मदन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया।

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

देवघर, रांची, पटना, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया से प्रकाशित

ईश्वर चंद्र विद्यासागर

- 26 सितंबर, 1820 को प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री व स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में हुआ था.
- उन्होंने स्त्री-शिक्षा और विधवा विवाह की वकालत की और कई महिला विद्यालयों की स्थापना करवायी.
- उनकी विद्वता के कारण ही विद्यासागर की उपाधि दी गयी.
- उनके प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बन सका. अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी उन्होंने एक विधवा से ही कराया. वे बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ थे.
- उनका निधन 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हुआ.

त्वरित न्याय दिलाने में सहयोग करें अधिवक्ता : सीजे

न्यायिक सेवा में महिलाओं की बढ़े भागीदारी

- पूरे संताल परगना से जुटे थे अधिवक्ता
- कई न्यायिक पदाधिकारी व जन प्रतिनिधियों की भी रही उपस्थिति

संवाददाता, दुमका

दुमका जिला अधिवक्ता संघ के शताब्दी समारोह में झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे लंबित मामलों को निष्पादित करने में न्यायिक पदाधिकारियों का पूरा सहयोग करें, ताकि लक्ष्य के अनुरूप लंबित वाद निपटाये जा सकें. इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में उन्होंने कहा कि दुमका जिला में 10 हजार से अधिक पुराने मामले लंबित हैं. लंबित मामलों में क्रिमिनल वादों की संख्या 6595 है. जहां पांच साल पुराने मामले 1945 हैं, जबकि पांच साल से अधिक पुराने मामलों की संख्या और भी अधिक है.

पांच साल से अधिक पुराने लंबित मामलों का निष्पादन 2020 तक : उन्होंने कहा कि पांच साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों को 2020 तक निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में अधिवक्ताओं का सहयोग जरूरी है. मुख्य न्यायधीश ने अपने अनुभव साझा किया और खासकर शेष पेज 15 पर

दुमका जिला अधिवक्ता संघ के शताब्दी वर्ष पर भव्य समारोह

युवा अधिवक्ताओं को दिये टिप्स

- ट्रायल कोर्ट से करें अनुभव की शुरुआत
- शुरुआत के तीन-चार साल सिविल कोर्ट में करें प्रैक्टिस
- जिला और अनुमंडल न्यायालयों में काम करने से कानून की मौलिक जानकारी हासिल होती है

पेज छह भी देखें

30 फीसदी महिलाओं की हो हिस्सेदारी

उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया है कि न्यायिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े. सिविल-जज जूनियर डिवीजन में 30 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी हो. हमें इस बात की खुशी है कि 116 पदों के विरुद्ध 106 ने योगदान दिया है जिसमें 36 महिलाएं हैं जो 30 प्रतिशत से अधिक हैं.

दुमका जागरण

26 सितंबर 2015

पीड़ितों को समय पर मिले न्याय : पटेल

[illegible] वीरेंद्र सिंह, अतिथि व उपस्थित अधिवक्ता।

जागरण

[illegible]

[illegible] करें। कहा कि कोर्ट में गुड मैनर बहुत जरूरी है। जिला बार एसोसिएशन द्वारा विभिन्न विषयों पर सेमिनार का आयोजन होना चाहिए। नये अधिवक्ता विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लें। दूसरे राज्यों का भ्रमण करें और वहां के अधिवक्ताओं के दल को भी आमंत्रित करें। कहा कि अध्ययन के लिए अब ई-लाइब्रेरी होना भी जरूरी है।

जस्टिस पीपी भट्ट ने कहा कि राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में गंभीर पहल हो रही है। अगले पांच वर्ष में जिला स्तर पर मुकम्मल आधारभूत संरचना बहाल होगी। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार की मदद से रांची में ज्यूडिशियल एकेडमी बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण शीघ्र होगा। कहा कि दुमका में एक मॉडल एडिया सेंटर की स्थापना अगले वर्ष तक किया जाएगा।

झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि दुमका जैसे पिछड़ा इलाके में जिला बार एसोसिएशन का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। आजादी की लड़ाई में इस इलाके के अधिवक्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। दुमका जिला बार एसोसिएशन अगर जगह मुहैया करा दे तो यहां काउंसिल की ओर से एक भव्य भवन बनाया जाएगा।

झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि दुमका जिला बार एसोसिएशन का इतिहास काफी संघर्षपूर्ण है। तमाम कठिनाई के बावजूद एसोसिएशन ने काफी बेहतर मुकाम हासिल किया है। आने वाले दिनों में न्यायिक क्षेत्र में इस इलाके में और भी बेहतर आयाम स्थापित होगा। देवघर के बालेश्वर सिंह, गोड्डा के धर्मेंद्र नारायण, दुमका की शर्मिला सिन्हा ने भी अपने विचार रखे।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा ने संताल परगना के इतिहास व इसमें न्यायिक क्षेत्र में हुए तमाम घटनाक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए दुमका में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का आग्रह किया। मंच संचालन महेश तिवारी ने किया।

ये थे उपस्थित : समारोह में राज्यसभा सदस्य संजीव कुमार, जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद साइमन मरांडी, अभयकांत प्रसाद, नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित, सालिसीटर जनरल राजीव सिन्हा, मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता रामजी साह, बार एसोसिएशन के सचिव सुबोध चंद्र मंडल, शंकर बसईवाला, उपेंद्र बिहार लाल, राजेंद्र बसईवाला, विद्यापति झा, योगेंद्र तिवारी, मनोज साह, कुमार प्रभात, विमलेंदु कुमार, रेखा प्रसाद, विभिषण प्रसाद, रामफल लायक, विभूति भूषण झा, धनंजय झा, छवि सिन्हा, प्रेमजीत लाल, बालेश्वर सिंह, धर्मेंद्र नारायण, अरुण कुमार सिन्हा समेत बड़े संख्या में अधिवक्ता व गण्यमान्य उपस्थित थे।

---

26 sep | हिन्दुस्तान

केस निबटाने में मदद करें

चीफ जस्टिस बोले

100 वीं वर्षगांठ मनाई गई दुमका जिला बार एसोसिएशन की

दुमका | वरीय संवाददाता

झारखंड के मुख्य न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने राज्य की अदालतों में कई वर्षों से लंबित मुकदमों पर चिंता जताई है। उन्होंने मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए वकीलों से सहयोग की अपील की है।

दुमका जिला बार एसोसिएशन की 100 वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को आयोजित समारोह में जस्टिस विरेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। जस्टिस सिंह ने कहा कि केवल दुमका की अदालतों में 10 हजार से अधिक केस लंबित हैं, जिनमें 1945 मामले 5 साल

संबोधित करते हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विरेन्द्र सिंह।

से अधिक समय से लंबित हैं। 8,593 क्रिमिनल केस लंबित हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक सभी लंबित मुकदमों का

त्वरित ग[illegible] मुख्य न्या[illegible] झारखंड मजिस्ट्रेट महिलाएं पर महिल[illegible]

मुख्य हाईकोर्ट जल्दबाज[illegible] हाईकोर्ट कम 3- अदालत समारोह न्यायाधी[illegible] जस्टिस [illegible] संबोधित

जिला बार एसोसिएशन की 100 वीं वर्षगांठ पर याद किया गया गौरवशाली अतीत, दुमका में हाई कोर्ट ...

युवा वकीलों के लिए लॉ एकेडमी की हो स्थापना

दुमका जिला बार एसोसिएशन की 100वीं वर्षगांठ के समारोह में शुक्रवार को स्मारिका का विमोचन करते मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, पीपी भट्ट, डीएन पटेल सहित अन्य।

दुमका | वरीय संवाददाता

दुमका जिला बार एसोसिएशन के 100 वां वर्षगांठ पर शुक्रवार को दुमका इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में एसोसिएशन के गौरवशाली अतीत को याद किया गया और भविष्य का रोड मैप तैयार कर आगे का प्लान तैयार करने पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विरेन्द्र सिंह ने लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं के सक्रिय सहयोग की अपील की। दुमका जिला बार एसोसिएशन ने उप राजधानी दुमका में हाई कोर्ट का बेंच की स्थापना की चल रही प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश से सहयोग की अपेक्षा की।

समारोह में अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग के लिए लॉ एकेडमी की स्थापना पर भी बार एसोसिएशन ने जोर दिया। चीफ जस्टिस विरेन्द्र सिंह के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों-जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस पीपी भट्ट ने सम्बोधित किया। झारखंड स्टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन के साथ ही एसोसिएशन के कई प्रमुख पदाधिकारियों ने बार एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी।

समारोह में स्वागत भाषण करते हुए दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा ने समारोह में दुमका जिला बार एसोसिएशन की स्थापना काल से लेकर अब तक के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में महज 6 अधिवक्ताओं ने दुमका जिला बार एसोसिएशन की नींव रखी थी। आज के दिन 600 अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े हैं और दुमका में वकालत कर रहे हैं। श्री झा ने बताया कि कैसे तत्कालीन अंग्रेज डीसी ने वकालत करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि डीसी ही तब जज भी होते थे और वे जिला के मालिक माने जाते थे। समारोह में 1896 में दुमका में वकालत शुरू करने वाले पहले अधिवक्ता बेनी माधव चटर्जी के साथ ही दिगंबर चक्रवर्ती और संताल परगना टेनेंसी एक्ट के लिए बने इंक्वायरी कमेटी के सदस्य रहे एमपी झा को याद किया गया।

झारखंड स्टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन एसोसिएशन की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि जमीन उपलब्ध होने पर दुमका में बार एसोसिएशन का नया भवन मनाया जाएगा। श्री रंजन ने 48 करोड़ का वेलफेयर स्टांप की उपलब्धता को एसोसिएशन की उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब अगले 5 वर्षों तक पूरे झारखंड राज्य में स्टाम्प की दिक्कत नहीं होगी। समारोह को स्टेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, सदस्य धर्मेन्द्र नारायण और ब्लेश्वर प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया। दुमका जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन महेश तिवारी कर रहे थे। राज्यसभा सांसद संजीव कुमार, जरमुंडी के विधायक बादल, पूर्व सांसद साइमन मरांडी, पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद, असिस्टेंट सोलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया राजीव सिन्हा सहित कई अधिवक्ता शामिल थे।

प्रथम अधिवक्ता थे बेनी माधव चक्रवर्तीः समारोह में शामिल होने के लिए दुमका के प्रथम अधिवक्ता बेनी माधव चक्रवर्ती के पौत्र देवाशीष चक्रवर्ती खास तौर से कोलकाता से दुमका आए थे। उन्होंने अपने दादा बेनी माधव चक्रवर्ती का चित्र भी मुख्य न्यायाधीश को सौंपा। समारोह में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विरेन्द्र सिंह और दोनों न्यायाधीशों जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस पीपी भट्ट का स्वागत परम्परागत रूप से किया गया। महिला अधिवक्ता शर्मिला सिन्हा ने अपने गायन के माध्यम से झारखंड और दुमका के गौरव का बखान किया। संगीताचार्य गौरकांत झा के नेतृत्व में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में जिला बार एसोसिएशन की ओर अतिथियों को मोमेंटो और शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। एसपी लॉ कॉलेज की ओर से प्राचार्य सुरेन्द्र झा के नेतृत्व में सभी न्याधीशों को मोमेंटों और शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

स्मारिका का हुआ विमोचनः इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन मुख्य न्यायाधीश के हाथों किया गया। समारोह में दुमका के युवा अधिवक्ता अच्युत केशव द्वारा एसपीटी एक्ट पर लिखी गई किताब का विमोचन मुख्य न्यायाधीश के हाथों किया गया।

आदर्श वैकल्पिक विवाद निष्पादन केंद्र खुलेगाः जस्टिस पीपी भट्ट

समारोह को संबोधित करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश और यहां के जोनल जज जस्टिस पीपी भट्ट ने कहा कि 15 दिनों में जुडिशियल एकेडेमी बन कर तैयार हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि दुमका जैसे क्षेत्र में वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आदर्श वैकल्पिक विवाद निष्पादन केंद्र बनाया जाएगा। यहां मध्यस्थता और कौंसिलिंग के द्वारा विवाद समाप्त कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास को दोहराना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी भविष्य का तोड मैप तैयार कर उसका पालन करना है।

लोगों को सुलभ न्याय देने में सहयोग करेंः डीएन पटेल

हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी.एन. पटेल ने अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया का पाठ बताते हुए कहा कि मीडियेशन और लोक अदालत जैसे कार्यों से जुड़ कर लोगों को न्याय सुलभ कराने में कोर्ट को मदद करें। उन्होंने सफल होने के कई टिप्स देते हुए वकीलों को सलाह दी कि वे कोर्ट रूम में जरूर बैठें। बिन्दुवार चर्चा करें। नए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सेमिनार का आयोजन हो। उन्होंने भाषा पर अधिकार और व्यवहार कुशलता पर भी उन्होंने जोर दिया।

अद्भुत है मंदिरों का गांव मलूटीः मुख्य न्यायाधीश

शुक्रवार को मलूटी मंदिर को देखते न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह।

दुमका। अद्भूत, मैं यहां आकर आश्चर्यचकित हूं। मैने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मलूटी में ऐसी सुन्दर वास्तुकला तथा शैव, बौध एवं शाक्त धर्म का अद्भूत संगम होगा।

इस जगह का ऐसा विकास हो कि दुनियां भर से इसे देखने के लिए पर्यटक यहां आए। उप निदेशक जनसम्पर्क, अजय नाथ झा ने न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को इस बात की जानकारी दी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा मलूटी स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य का ऑन लाईन उद्घाटन किया जाएगा। न्यायमूर्ति द्वारा मां मौलिक्षा मंदिर के सचिव कुमुद वरण राय को सम्मानित भी किया गया।

प्राचार्य ने मलूटी पर लिखी गई पुस्तक मुख्य न्यायाधीश को भेंट कियाः प्रमंडलीय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा 108 मंदिरों के गांव मलूटी पर एक अधिकारिक शोधपरक पुस्तक शुक्रवार को झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति पीपी भट्ट को भेंट की गयी। यह पुस्तक के लेखक प्रो. सुरेन्द्र झा, प्राचार्य संताल परगना महाविद्यालय के कर कमलों से दी गयी।

रांची एक्सप्रेस
रांची, शनिवार 26 सितम्बर 2015

[illegible] संघ का स्थापना दिवस मनाया गया

[illegible] में अधिवक्ता सहयोग करें : मुख्य न्यायाधीश

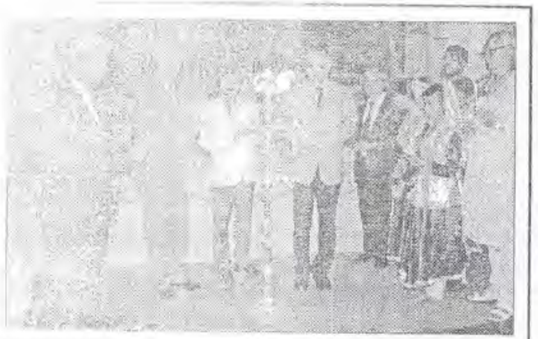

[illegible] का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि

[illegible]

[illegible] धीरे-धीरे एसपीटी एक्ट को [illegible] का प्रयास कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल ने कहा कि न्याय कोई जादू की छड़ी नहीं है. न्याय करने में वक्त लगता है। न्याय के लिए कई चीजों को देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी है। अधिवक्ताओं ने हमेशा से समाज को नेतृत्व दिया है। आजादी के आंदोलन की अगुवाई करनेवालों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल अधिवक्ता थे। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, काउंसेलिंग, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत व मासिक लोक अदालत में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है।

न्यायमूर्ति पी. पी. भट्ट ने कहा कि संथालपरगना क्षेत्र में काफी गरीबी है। यहां वैकल्पक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। हम दुमका में बहुत ही सुन्दर और आदर्श वैकल्पिक विवाद निष्पादन केन्द्र (मॉडल एडीआर सेंटर) बनाएंगे जिसके माध्यम से समस्याओं का निष्पादन किया जा सकेगा। हम पांच सालों के लिए रोड मैप बना रहे हैं। इसमें हर जिले में कोर्ट व अन्य सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

स्वागत संबोधन दुमका जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और बार काउंसिल के सदस्य गोपेवर प्रसाद झा ने किया। बार काउनसिल के चेयरमैन राजीव रंजन, वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला, देवघर के बालेश्वर प्रसाद सिंह, गोड्डा के धर्मेन्द्र नारायण ने भी समारोह को संबोधित किया। मंच का संचालन सदस्य महेश तिवारी ने किया। समारोह में भाजपा का कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक शामिल नहीं हुआ। पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद और पूर्वमंत्री साइमन मराण्डी ही नजर आये। झामुमो के राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता संजीव कुमार, कांग्रेस के जरमुण्डी विधायक बादल, नगर परिषद् अध्यक्ष अमिता रक्षित समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, झारखण्ड बार काउंसिल के सभी सदस्य एवं संथालपरगना के छह जिलों और दो अनुमंडलों के अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की पूजा-अर्चना

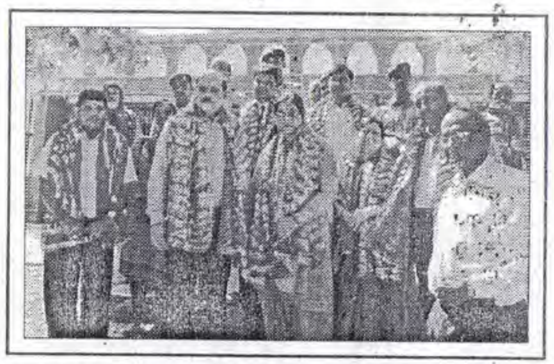

पूजा-अर्चना कर मंदिर से बाहर निकलते न्यायाधीश बी.एन. उपाध्याय व परिजन। छाया : अर्जुन सोनी

इटखोरी (चतरा), 25 सितंबर (रां.ए.सं.) : झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. उपाध्याय ने सपरिवार मां भद्रकाली की पूजा- अर्चना की। इनके आगमन पर चतरा प्रधान जिला अध्यक्ष अजय कुमार नारायण पांडेय तथा पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार झा स्वागत के लिए उपस्थित थे। न्यायाधीश ने मंदिर के चारों तरफ विधि- व्यवस्था देखकर मंदिर प्रबंधन समिति की सराहना की। इस मौके पर चतरा के रजिस्ट्रार बी. भगत, अभियान एसपी अश्विनी मिश्र, अनुमंडल पदाधिकारी नंदकिशोर लाल, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य कुमार यशवंत नारायण सिंह, कुमार दुलार हजाम, कुमार शंकर, कुमार यशवंत सिंह, सांसद प्रतिनिधि डा.मृत्युंजय सिंह, रतन शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रभात खबर 26.9.15

कार्यक्रम . जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा : बना है पांच साल का रोड मैप

न्यायतंत्र के लिए सुविधाएं होंगी विकसित

संताल परगना के विभिन्न इलाकों से पहुंचे थे न्यायिक पदाधिकारी, शताब्दी समारोह को देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ी भीड़

- न्याय जादू की छड़ी नहीं, न्याय के लिए कई चीजों को देखना पड़ता है इसमें वक्त लगता है : न्यायमूर्ती डीएन पटेल
- जितने अधिक मामले लोक अदालत, मध्यस्थता, काउंसेलिंग से निष्पादित किये जाएंगे उतने अधिक नये मामले कोर्ट में आयेंगे
- संताल परगना के इलाके में गरीबी, यहां वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत : पीपी भट्ट

संवाददाता, दुमका

1896 में स्थापित दुमका जिला अधिवक्ता संघ का इतिहास गौरवशाली रहा है. अंग्रेज प्रशासक कास्टेयर्स के काल में अधिवक्ताओं को मुकदमे के लिए आगे नहीं आने दिया जाता था. तब बेनीमाधव चक्रवर्ती जैसे अधिवक्ता कोलकाता से पहली बार पहुंचे थे और यहां प्रैक्टिस किया. श्री चक्रवर्ती पहले अधिवक्ता तो बने ही, संघ के पहले अध्यक्ष भी. इस समारोह में उनके पौत्र देवाशीष चक्रवर्ती शरीक हुए. कार्यक्रम में सौ से अधिक वर्ष पुराने दुमका बार के अतीत पर चर्चा हुई. इस बार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया. कार्यक्रम का उद्‌घाटन चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, जस्टिस डीएन पटेल व पीपी भट्ट, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन आदि ने दीप जलाकर किया. इससे पूर्व अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत हुआ. कार्यक्रम में राज्यस ॥ सांसद संजीव कुमार, पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद, पूर्व मंत्री साईमन मरांडी, जरमुंडी विधायक बादल, दुमका नगर पर्षद अध्यक्षा अमिता रक्षित, एसपी लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र झा एवं लॉ कार्डिनेटर डॉ अजय सिन्हा मौजूद थे.

दुमका बार के शताब्दी समारोह में अच्युत केशव की पुस्तक का लोकार्पण करते चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल, पीपी भट्ट, स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष राजीव कुमार व दुमका के अध्यक्ष गोपेश्वर झा, मलुटी की मंदिरों की मूर्ति भेंट करते अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि.

अधिवक्ताओं ने दिया हमेशा समाज को नेतृत्व

न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि अधिवक्ताओं ने हमेशा से समाज को नेतृत्व दिया है. देश की आजादी के आंदोलन की अगुवाई करनेवालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल अधिवक्ता थे. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अच्छे अधिवक्ता रहे हैं. अधिवक्ता कानून को बेहतर समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं. इस कारण वह जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं. न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि न्याय कोई जादू की छड़ी नहीं है, न्याय करने में वक्त लगता है. न्याय के लिए कई चीजों को देखना पड़ता है. अधिवक्ता न्याय प्रणाली और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, काउनसेलिंग, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत व मासिक लोक अदालत में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है. जितने अधिक मामले इन माध्यमों से निष्पादित किये जाएंगे उतने अधिक नये मामले कोर्ट में आयेंगे.

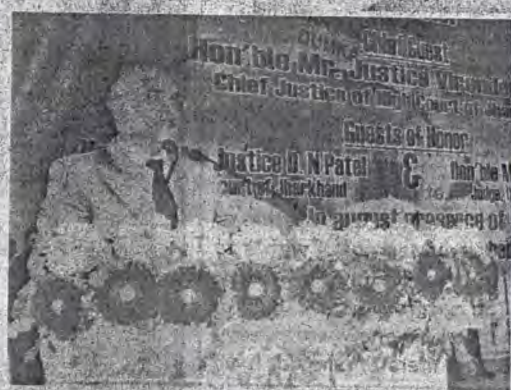

कार्यक्रम को संबोधित करते न्यायमूर्ति डीएन पटेल. ■ फोटो । प्रभात खबर

दुमका में मॉडल एडीआर सेंटर बनेगा

अपने वक्त व्य में न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने कहा कि क्षेत्र में गरीबी है. यहां वैकल्पिक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम दुमका में बहुत ही सुन्दर और आदर्श वैकल्पिक विवाद निष्पादन केन्द्र यानी मॉडल एडीआर सेंटर बनाएंगे जिसके माध्यम से समस्याओं का निष्पादन मध्यस्थता या काउनसेलिंग आदि से किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने पद संभालने के बाद सबसे पहले राज्य के न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत संरचना का जिलास्तर पर जायजा लिया. हम 5 सालों के लिए रोड मैप बना रहे हैं जिसमें हर जिला में कोर्ट व अन्य सुविधाएं तैयार की जाएंगी. केन्द्र और राज्य के फंड को मिलाकर रांची में बन रहा जुडिसियल अकादमी अगले 15 दिनों में बनकर तैयार होनेवाला है. उन्होंने गुजरात के तर्ज पर बार काउंसिल को लॉयर अकादमी बनाने की सलाह दी, जिसमें युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा सके.

कार्यक्रम को संबोधित करते न्यायमूर्ति पीपी भट्ट.

अच्युत केशव की पुस्तक का हुआ लोकार्पण

संवाददाता, दुमका

एसपीटी एक्ट पर लिखी है अहम पुस्तक

एसपीटी एक्ट पर अधिवक्ता अच्युत केशव की लिखी गयी पुस्तक तथा जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी मुख्य न्यायाधीश ने लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि अपने 10 माह के कार्यकाल में उन्होंने टेनेंसी कानूनों को समझने कोशिश की है. अधिवक्ता अच्युत केशव की लिखी पुस्तक लैंड एंड टेनेंसी लॉ ऑफ संताल परगनाज पुस्तक दो खण्डों में है जिसके प्रथम खंड का ही प्रकाशन अभी हो पाया है. दूसरे खंड पर अच्युत काम कर रहे हैं. विधि की पुस्तकों के अग्रणी प्रकाशक मल्होत्रा बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गयी इस पुस्तक में 850 से ज्यादा पृष्ठ हैं. इस पुस्तक में एस पी टी एक्ट (अनुपूरक), 1949 की व्याख्या है. इसके पूर्व इस अधिनियम पर कोई भी व्याख्या नहीं उपलब्ध नहीं थी. इस अधिनियम के अतिरिक्त भी संताल परगना में लागू जितने भी जमीन संबंधित जितने भी कानून हैं, सभी का संग्रह इस पुस्तक में है. न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने कहा कि अच्युत केशव को बधाई दी और कहा कि वे दुमका बार के आन, बान और शान हैं और यहां के अधिवक्ताओं के आदर्श हैं. दुमका के अधिवक्ता इसी तरह का इतिहास रचें

OLX.in

दैनिक जागरण - 27 SEP

त्वरित न्याय में मध्यस्थ की अहम भूमिका : चीफ जस्टिस

दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू

• सीजे बीरेंद्र सिंह ने कहा विवाद में कीमती समय व संसाधन बर्बाद होने से बचाना चाहिए

कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन करते मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह जागरण

जागरण संवाददाता, दुमका : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पारिवारिक विवादों में त्वरित न्याय दिलाने में मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है।

मध्यस्थ पर दोनों पक्षों का भरोसा होना अत्यंत आवश्यक है। शनिवार को दुमका समाहरणालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दो दिवसीय मध्यस्थ सम्मेलन सह अग्रणी प्रशिक्षण कार्यशाला में वह बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मध्यस्थता की भूमिका को प्रभावी, प्रखर और धारदार बनाने की वकालत करते हुए कहा कि विवाद में पड़कर मानव अपना कीमती समय व संसाधन गंवाता है, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। कहा कि विवाद के कारणों की बेहतर जानकारी मध्यस्थ को होनी चाहिए। जिनके बीच विवाद है, उनकी मनःस्थिति को भी ठीक से समझना जरूरी है अन्यथा मध्यस्थता असफल हो सकती है। किसी भी विवाद की मध्यस्थता से पूर्व विवाद की जड़ तक जाना होगा। कहा कि विवाद का मुख्य कारण दोनों पक्ष की स्थिर या जड़ मनोवृत्ति होती है। विवादित पक्षकारों के मानसिक पूर्वाग्रह को मनोवैज्ञानिक तरीके से बाहर निकालना मध्यस्थों के लिए बड़ी चुनौती होती है।

प्रभात खबर 27 SEP

शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के खिलाफ पारा शिक्षकों ने निकाली चेतावनी रैली

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया प्रदर्शन

संवाददाता, दुमका

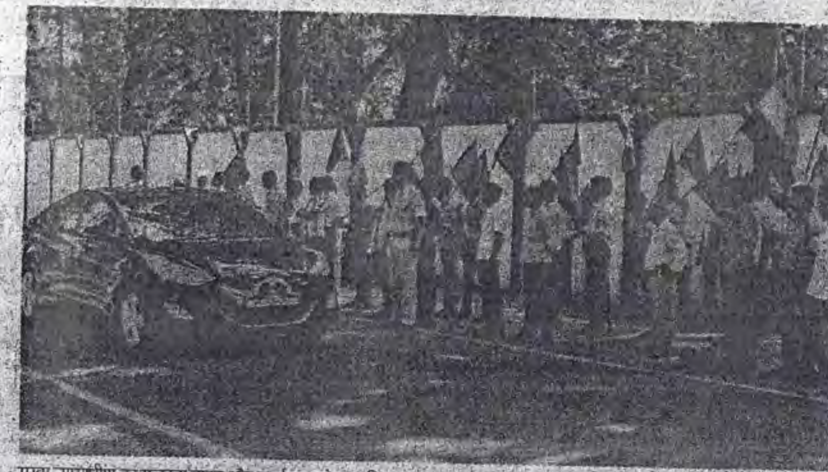

मुख्य न्यायाधीश का गुजरता वाहन और प्रदर्शन करते पारा शिक्षक. ■ फोटो । प्रभात खबर

शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के खिलाफ झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ शनिवार को सड़क पर उतरा तथा राजभवन से प्रस्थान कर रहे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रदर्शन भी किया. इससे पूर्व काउंसलिंग प्रारंभ होने से पूर्व चेतावनी रैली निकाली गयी तथा फ र्जी आवेदकों को गिरफ्तार करो के नारे लगाये गये. इन प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दुमका की मेधा सूची में ऐसे कई अभ्यर्थियों के नाम हैं, जिनका दुमका में कुछ मेधांक है और दूसरे जिले में कुछ अन्य. महासंघ ने ऐसे 15 आवेदकों की सूची भी जारी की है. रैली-प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महासचिव विक्रांत ज्योति ने किया. मौके पर जिलाध्यक्ष व्रजमोहन यादव, जिला सचिव अनिल कुमार, जिला संगठन मंत्री देवेश कुमार, उज्जवल कुमार साह, निरंजन कुमार सिंह, संजय कुमार, रामू चालक, कन्हैया प्रसाद साह, धनश्याम साह, योगेंद्र साह, मंजू मुर्मू, खलील अंसारी, शिवरुप हांसदा, गणेश मोहली, लुखीराम हांसदा, विवेकानंद घोष, मो अली, सोमेन कुमार, राजीव कुमार, चंद्रमोहन भट्टाचार्य, संतोष कुमार चौरसिया, मनोज कुमार, अनूप दत्ता, सरस्वती सोरेन, धर्मेंद्र कुमार, मानिक चंद्र महतो आदि मौजूद थे.

भागलपुर, 27 सितंबर 2015 दैनिक जागरण

लोक अदालत में 11 मामले निष्पादित

जासं, दुमका : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित लोक अदालत में 11 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान कुल 13600 रुपये की वसूली भी की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमरेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में तीन बेंच का गठन किया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रामधारी यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत के प्रथम बेंच में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अवधेश कुमार मिश्र, कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, निशित कुमार, बेंच नंबर दो में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसएन मिश्र, अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह, शर्मिला सिन्हा एवं बेंच नंबर तीन में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह, रामविलास प्रसाद एवं सत्येंद्र कुमार सिंह शामिल थे।

हिन्दुस्तान - 27 SEP

लोक अदालत में 11 मामले निबटे

दुमका | प्रतिनिधि

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 26 सितम्बर को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में 11 मामलों का निष्पादन गया, जबकि 13 हजार 600 रुपए की वसूली की गई। बेंच नम्बर 1 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अवधेश कुमार मिश्रा, मनीषा तिर्की, द्वितीय बेंच में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसएन मिश्रा, अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अधिवक्ता शर्मिला सिन्हा एवं 3 बेंच में स्थायी लोक अदालत के अन्नत कुमार सिंह, सदस्य राम विलास साह, सत्येन्द्र कुमार सिंह सहित न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता आदि मौजूद थे।

प्रभात खबर 26.9.15

कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस को बेनीमाधव चक्रवर्ती की तसवीर भेंट करते देवाशीष चक्रवर्ती. ■ फोटो । प्रभात खबर

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा

जगह मिल जाय, तो बनायेंगे बार के लिए अच्छा भवन

संवाददाता, दुमका

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि यह दिन दुमका बार के लिए महत्वपूर्ण दिन है. यह क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन बिहार के जमाने से पिछड़ा रहा है. राजमहल, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा जैसे ईलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इस क्षेत्र के लिए हम कुछ कर पायें, यह सौभाग्य होगा. अभी इस क्षेत्र के बार भवन में न तो क्लाइंट के बैठने की जगह है, न लेक्चर रुम जैसे संसाधन. उन्होंने कहा कि जमीन मिले, तो बार काउंसिल इस दिशा में प्रयास करेगा. उन्होंने वेलफेयर स्टाम्प के लिए राज्यसभा सदस्य सह उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार के प्रयासों को भी सराहा. उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने भी दुमका बार एसोसियेशन के सुदीर्घ इतिहास की चर्चा की.

उपरी अदालत नहीं पहुंच पाते संताल के गरीब

दुमका . झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य और दुमका जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा ने कहा कि यह गरीब आदिवासी इलाका है. यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. इस कारण यहां के लोग सजा काट लेते हैं लेकिन न्याय के लिए उपरी अदालत तक अपनी फरियाद नहीं पहुंचा पाते हैं. जमीन के अधिकांश मामले में भी वे उपरी अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं. संतालपरगना के लोगों को सुलभ न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में पहल करने की जरूरत है. इन्होंने दुमका सहित संतालपरगना के विभिन्न जिले के अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जमीन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.

सुरेंद्र ने मलुटी से जुड़ी पुस्तक चीफ जस्टिस को की भेंट

संवाददाता, दुमका

प्रमंडलीय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा 108 मंदिरों के गांव मलुटी पर एक आधिकारिक शोधपरक पुस्तक को झारखण्ड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति पीपी भट्ट को भेंट की गयी. इस पुस्तक के लेखक प्रो डॉ सुरेन्द्र झा हैं, जो संताल परगना महाविद्यालय प्राचार्य हैं. डॉ झा ने स्वयं यह पुस्तक उन्हें भेंट की.

दुमका में हाईकोर्ट खण्डपीठ की उठी मांग

- देवघर के बालेश्वर सिंह की मांग पर अधिवक्ताओं ने तालियों से किया समर्थन
- अधिवक्ता विजय सिंह ने भी दोहराया दुमका में सर्किट बेंच स्थापना की मांग

[दुमका/का. संवाददाता]

झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिश वीरेन्द्र सिंह, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिश डी एन पटेल और जोनल जज जस्टिश पी पी भट्ट के सामने दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। देवघर से स्टेट बार के सदस्य बालेश्वर सिंह ने दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संथाल परगना के पाकुड, राजमहल और साहेबगंज के लोगों न्याय के लिए पटना से भी अधिक दूरी तय कर रांची जाना पडता है। ऐसे समय में जब जस्टिा ऑल व्हील और जस्टिश ऑन डोर का कान्सेप्ट आ गया है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में दुमका में हाईकोर्ट के खण्डपीठ की स्थापना हो। बालेश्वर सिंह के द्वारा खण्डपीठ का मुद्दा उठाने पर हॉल में मौजूद अधिवक्ताओं ने जोरदार तालियों से उनके वक्तव्य का समर्थन किया। दुमका के वरीय अधिवक्ता विजय सिंह ने कहा कि संथाल परगना बहुत ही गरीब क्षेत्र है। यहां के 80 प्रतिशत लोग

अपना आचरण अच्छा रखें अधिवक्ता : जस्टिस पटेल

दुमका। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिश डी एन पटेल ने अधिवक्ताओं को कई महत्वपूर्ण सलाह दिये। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिये। कोर्ट में कार्यालय अवधि में अधिवक्ताओं को पूरा समय देना चाहिये। अधिवक्ता बिंदूवार तथ्यों को रखें और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट आएं। उन्होंने निर्णयों को भी निश्चित रूप से कोट करने की सलाह दी। उन्होंने माह में एक बार या हर दूसरे शुक्रवार को कानून के बारे में बार में चर्चा करने करने की सलाह दी जिसमें हाल के निर्णयों पर चर्चा की जानी चाहिये जिसमें सीनियर व जुनियर लॉयर हिस्सा लें। समय-समय पर अलग-अलग विषयों पर अधिवक्ताओं के बीच सेमिनार कराने और अधिवक्ताओं के टीम को दूसरे राज्यों में अध्ययन के लिए भेजने की भी उन्होंने सलाह दी। उन्होंने अधिवक्ताओं को लॉ कालेज में पढाने की भी सलाह दी और कहा कि अच्छे शिक्षक अच्छे अधिवक्ता भी होते हैं। उन्होंने कहा कि नये एक्ट आने पर उसे भी पढना पडता है। जस्टिश भट्ट ने ई लाईब्रेरी के जरूरत पर बल देते हुए कहा कि अब एआईआर की मोटी पुस्तकों को रखने की जगह नहीं होती। बार अपनी ई लाईब्रेरी विकसित करे और ऐसे जगहों पर अधिवक्ताओं को भेजे जहां ज्ञान मिलता हो। उन्होंने अधिवक्ताओं के बीच खेलकूद की गतिविधि करवाने की भी सलाह दी।

हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। स्टेट बार काउनसिल के सदस्य और दुमका बार के

युवा अधिवक्ताओं को 5 हजार

कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिवक्ता यहां न्यायिक सेवा में आ जाते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जुडिसियल एकाडेमी के तर्ज पर लॉ एकेडमी शुरू करने की वकालत की।

सीजे ने दी बकरीद की शुभकामनाएं

मुख्य न्यायाधीश जस्टिश वीरेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में ईद उल जुहा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब उन्हें दुमका बार के 100 साल से अधिक पूरा होने पर समारोह आयोजित करने के बारे में निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने उसमें आने की तुरंत सहमति दे दी। बाद में बार के कुछ मुस्लिम अधिवक्ताओं ने उनहें पत्र लिखकर इसपर आपत्ति जतायी कि बकरीद का पर्व होने के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उनसे इस बारे में सलाह किये बिना तिथि तय कर ली गयी।

भाषा और विविध संस्कृतियों का जिला है। उन्होंने दुमका के प्रथम अधिवक्ता के पोता देवाशीष चक्रवर्ती से मिलने पर हर्ष जताया। देवाशीष अपनी पत्नी के साथ दुमका पहुंचे थे और उन्होंने अपने दादा बेनी माधव चटर्जी का तैल चित्र सीजे को भेंट किया जबकि आयोजन समिति के ओर से उन्हें प्रतीक चिन्ह और शॉल प्रदान किया गया। जस्टिश पी पी भट्ट ने कहा कि झारखण्ड संथाल परगना और छोटानागपुर, दो हिस्सों में बंटा है। दोनों की अपनी गाथा और सृस्कृति, परंपरा व विरासत है। संथाल परगना में काफी गरीबी है, आदिवासी पिछडे हैं, पर काम हो रहा है।

झोपड़ी बना कर बैठ रहे अधिवक्ता : गोपेश्वर

दुमका बार के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा ने दुमका बार और यहां के न्यायिक व्यवस्था के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था

उन्होंने सीजे और बार काउनसिल से इस मुद्दे में पहल करने की अपील की।

जमीन दे जिला प्रशासन बनाएंगे भव्य भवन

स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के जमाने से पिछडा रहा है। राजमहल, साहिबगंज, पाकुड, गोड्डा जैसे ईलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र के लिए हम कुछ कर पायें, यह सौभाग्य होगा। अभी इस क्षेत्र के बार भवन में न तो क्लाइंट के बैठने की जगह है, न लेक्चर रूम जैसे संसाधन। उन्होंने कहा कि जमीन मिले, तो बार काउंसिल इस दिशा में प्रयास करेगा। हम यहां भव्य भवन बनाएंगे और लेक्चर रूम व पीने की पानी आदि की व्यवस्था करेंगे। उन्होंन सीजे से शनिवार को दो मिनट के लिए अधिवक्ता संघ के भवन में आने का आग्रह किया।

डॉ. सुरेन्द्र झा ने भेंट की पुस्तक

दुमका/कार्यालय संवाददाता। प्रमंडलीय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा 108 मंदिरों के गांव मलुटी पर एक आधिकारिक शोधपरक पुस्तक आज झारखण्ड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह, माननीय न्यायमूर्ति डी0एन0 पटेल, माननीय न्यायमूर्ति पी0पी0भट्ट को भेंट की गयी। यह पुस्तक के लेखक प्रो. सुरेन्द्र झा, प्राचार्य संताल परगना महाविद्यालय के कर कमलों से दी गयी। बाद में एसपी कालेज के प्रचार्य के रूप में डा. झा ने

लैंड एंड टेनेंसी लॉ ऑफ संथाल परगानाज में हैं 850 पृष्ठ

अपनी पुस्तक के साथ अधिवक्ता अच्यूत केशव

■ मल्होत्रा बुक एजेंसी ने किया है अच्यूत केशव के पुस्तक का प्रकाशन

■ न्यायमूर्ति पीपी भट्ट ने कहा आप दुमका की आन, बान और शान है

[दुमका/का. संवाददाता]

दुमका के अधिवक्ता अच्युत केशव की लिखी पुस्तक लैंड एंड टेनेंसी लॉ ऑफ संथाल परगानाज पुस्तक दो खण्डों में है जिसके प्रथम खंड का ही प्रकाशन अभी हुआ है। केशव दूसरे खंड पर शोध कर रहे हैं। विधि की पुस्तकों के अग्रणी प्रकाशक मल्होत्रा बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 850 से ज्यादा पृष्ठ हैं। इस पुस्तक में एस पी टी एक्ट (अनुपूरक), 1949 की व्याख्या है। इसके पूर्व इस अधिनियम पर कोई भी व्याख्या नहीं उपलब्ध नहीं थी। इस अधिनियम के अतिरिक्त भी संथाल परगना में लागू जितने भी जमीन सम्बंधित जितने भी कानून हैं, सभी का संग्रह इस पुस्तक में है। उदहारण के लिए 1872 का रेगुलेशन 3 और 1886 का रेगुलेशन। पुस्तक में की गयी व्याख्या की विशेषता यह है कि इसमें काश्तकारी अधिनियम के सभी विधिक शब्दों की व्याख्या कानून के सिद्धांतों एवं अद्यतन न्याय निर्णय के अनुसार की गयी है। पुस्तक की भूमिका में रियल प्रॉपर्टी के पाश्चात्य एवं भारतीय कानूनों के संहिताबद्ध और रुढ़ी तुलनामूलक स्वरूपों की तुलनामूलक चर्चा है। न्यायमूर्ति पीपी भट्ट जो संथाल परगना के जोनल जज भी हैं ने विमोचन के पूर्व बताया कि संथाल परगना के जमीन संबंधी मामलों के अध्ययन के दौरान इस विषय पर स्तरीय और प्रामाणिक पुस्तकों की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ता है, जो अब नहीं होगी। पुस्तक की व्याख्या-अंश की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालयों के निर्णयों, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रख कर की गयी यह शोधपरक व्याख्या सामान्य जनता, विधि विशेषज्ञों, एवं न्यायालयों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए उन्होंने मंच से ही इसके लेखक अच्युत केशव को बधाई दी और कहा कि आप दुमका बार के आन, बान और शान हैं और यहां के अधिवक्ताओं के आदर्श हैं। दुमका के अधिवक्ता इसी तरह का इतिहास रचें। पुस्तक के लेखक अच्यूत केशव ने बताया कि संथाल परगना की भू विधि जटिल है तथा वैश्वीकरण के दौर में इसकी समझ अत्यावश्यक है। आने वाले दौर में यह पुस्तक और भी जरूरी हो जाएगी। इसके द्वितीय खंड के प्रकाशन के साथ यह यहां की भू विधि का विश्वकोशीय ज्ञान प्रदान करेगी। केशव अपनी पुस्तक को पूरे संथाल परगना में विधि की शिक्षा के लिए एक भेंट मानते हैं। संथाल परगना लॉ कॉलेज में अध्यापन कर चुके केशव का मानना है कि एसपीटी एक्ट के ठोस जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले हर जन प्रतिनिधि, प्रशासक, एक्टिविस्ट एवं बुद्धिजीवी के लिए आवश्यक है। केशव ने अपनी वकालत वर्ष 2000 में शुरू किया था जिसके बाद वे सन 2001 से झारखंड उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले दो सालों से केशव दुमका में भी वकालत में समय दे रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट तथा एसपीटी के द्विभाषी संस्करण का सम्पादन कर चुके हैं।

अधिवक्ता संघ कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति

इंडियन पंच 26 Sep

पुराने मामले 2020 तक होंगे खत्म

दुमका में 10 हजार से अधिक मामले लंबित

अच्यूत केशव के पुस्तक का विमोचन करते सीएजे, दोनों जस्टिस, बार काउनसिल के चेयरमैन व सदस्य।

[दुमका/राज कुमार उपाध्याय]

दुमका जिला अधिवक्ता संघ के स्थापना के 100 साल से अधिक पूरा होने पर शहर के इनडोर स्टेडियम में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाशधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यहां वासुकिनाथ को फौजदारी न्यायालय कहा जाता है जहां तुरंत रिलिफ मिलती है पर दुमका जिले में 10 हजार से अधिक पुराने मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में क्रिमिलन मामलों की संख्या 8593 है। यहां 5 साल पुराने 1945 मामले हैं जबकि 5 साल से अधिक पुराने मामलों की संख्या और भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों को 2020 तक निष्पादित करने का वायदा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से किया है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वह न्यायिक पदाधिकारियों को पुराने केशों के निष्पादन में सहयोग करें और लक्ष्य को पूरा करने में सहभागी बनें। सीजे ने कहा कि 2020 के बाद कोशिश होगी कि सिविल वादों का निष्पादन 2 साल के अंदर हो जाये जबकि आपराधिक मामले उससे भी कम समय में निष्पादित कर दिये जायें।

मुख्य न्यायाधीश ने अपने अनुभव के आधार पर युवा अधिवक्ताओं को सलाह दी कि वह अनुभव की शुरूआत ट्रायल कोर्ट से करें। उन्होंने बताया कि वह हरियाणा में अपराधिक मामले देखा करते थे पर हाईकोर्ट से सामग्रियों की कोई मदद नहीं मिलती थी। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने 70 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ता को शुरू के 3-4 साल सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिये तब हाईकोर्ट में शिफ्ट करना चाहिये। जिला और अनुमंडल न्यायालयों में काम करने से कानून की मौलिक जानकारी होगी; क्योंकि हाईकोर्ट में अधिकतर रिट और क्वैश के मामले होते हैं। ट्रायल कोर्ट का अनुभव प्राप्त करने के बाद ही हाई कोर्ट में शिफ्ट करना चाहिये। कुछ अधिवक्ता जिनके पिता, भाई या परिजन हाईकोर्ट में हैं, वह पहले भी हाई कोर्ट में

शेष पेज 11 पर

सुस्मिता आदि मौजूद थे।

इंडियन पंच 26 सितंबर

सीजे ने की पत्नी के साथ मां मौलिखा देवी की पूजा

मलूटी में मंदिरों को देखते सीजे

शिकारीपाड़ा/निज संवाददाता। झारखंड के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह सपरिवार शुक्रवार को मलूटी गये और ऐतिहासिक मंदिरों के गांव का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वे यहा आकर आश्चर्यचकित हैं। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मलूटी में ऐसी सुंदर वास्तुकला तथा शैव, बौद्ध एवं शाक्त धर्म का अद्भुत संगम होगा। इस जगह का ऐसा विकास होना चाहिए कि दुनिया भर से लोग यहां पहुंचे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक अजय नाथ झा ने न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को इस बात की जानकारी दी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मलूटी के मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इससे पूर्व स्थानीय ग्रामीणों ने अतिथियों का पारंपरिक रीति से भव्य स्वागत किया। जस्टिस डीएन पटेल, पीपी भट्ट ने भी मां मौलीक्षा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मां मौलिक्षा मंदिर के सचिव कुमुद वरण राय को सम्मानित भी किया गया।

इंडियन पंच 25 Sep

मुख्य न्यायाधीश ने बाबा मंदिर में की पूजा

[देवघर/संवाददाता]

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिरेन्द्र सिंह अपनी पत्नी के साथ वैद्यनाथ मंदिर में पूजार्चना की। मुख्य न्यायाधीश दुमका कार्यक्रम में भाग लेने के क्रम में परिसदन में पहुंचे जहां पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत वे विशेष सुरक्षा व्यवस्था में बाबा मंदिर पहुंचे और अपने तीर्थ-पुरोहित से संकल्प कराकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की; साथ ही अन्य मंदिरों में भी माथा टेका। मुख्य न्यायाधीश के हाई कार्ट के न्यायाधीश पी.पी. भट्ट एवं डीएन पटेल भी पूजा-अर्चना किये। वहीं पंडाधमरक्षिणी सभा के द्वारा मुख्य न्यायाधीश व हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वय शेष पेज 11 पर

पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने किया सम्मानित

2 न्यायमूर्तियों सहित मुख्य न्यायाधीश का हुआ स्वागत

दुमका/राज कुमार उपाध्याय। न्याय व्यवस्था में मध्यस्थों की अहम भूमिका को रेखांकित करने के लिए झारखण्ड के मुख्य न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह के साथ न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति पीपी भट्ट का गुरुवार की शाम दुमका पहुंचने पर राजभवन में पौधा देकर तथा पारम्परिक जनजातीय लोटा-पानी और पाईका नृत्य के साथ स्वागत किया गया। गुरुवार की देर शाम जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में एकलव्य विद्यालय, काठीजोरिया की संथाली शेष पेज 11 पर

चीफ जस्टिस को अपने बीच पाकर गदगद हुए अधिवक्ता

[दुमका/कार्यालय संवाददाता]

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं स्टेट बार काउनसिल के सदस्य गोपेश्वर प्रसाद झा के आग्रह पर शनिवार को झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेन्द्र सिंह, जस्टिस डी एन पटेल एवं जस्टिस पीपी भट्ट दुमका बार के भवन के प्रांगण में अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के ओर से उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। झा ने चीफ जस्टिस को बार भवन भी दिखाया और अधिवक्ताओं के द्वारा बनाये गये झोंपडियों को दिखाते हुए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था हेतु जमीन एवं भवन निर्माण के जरूरत को दोहराया। इस दौरान जस्टिस पटेल ने कहा कि प्रथम मंजिल पर तो काफी जगह है, वहां अधिवक्ता चाहे तो बैठ ही सकते हैं। चीफ जस्टिश ने अधिवक्ताओं के इस मांग के बारे में आवासन दिया। चीफ जस्टिस को अपने बीच पाकर अधिवक्ता काफी गदगद देखे गये। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि दुमका के धरती पर उन्हें इस कदर सम्मान मिला है कि वह इसे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे और बार-बार दुमका आना चाहेंगे। बार भवन के सामने चीफ जस्टिस एवं दोनों न्यायमूर्ति के साथ अधिवक्ताओं ने फोटो खिंचवाई। इससे पूर्व दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने चीफ जस्टिस को बताया कि समहरणालय का अपना भवन जनवरी 2016 में बनकर तैयार हो जायेगा और तब उपायुक्त कार्यालय परिसर खाली हो जायेगा जिसे वह चाहे तो व्यवहार न्यायायल के लिए ले सकते हैं। गोपेश्वर झा ने दुमका के अधिवक्ता संघ को वह भवन देने का आग्रह किया। कार्यक्रम के समापन के बाद गोपेश्वर प्रसाद झा ने कहा कि वह इस बात से काफी खुश हैं कि तमाम बाधाओं और जिला प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के बावजूद वह सीजे व दोनों जस्टिस को दुमका बार के 100 साल से अधिक पूरा होने के समारोह में लेकर आये और उन्हें बार भवन परिसर तक अधिवक्ताओं के बीच ले आये। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार वह बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे।

अधिवक्ताओं के बीच चीफ जस्टिस

माइक थाम जस्टिस ने गाया गीत

दुमका/कार्यालय संवाददाता। झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सह झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के प्रधान संरक्षक न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति डी0एन0 पटेल एवं जोनल जज जस्टिस पी0पी0भट्ट का का सेम्पलिंग अंकुरित बाल वृक्ष देकर तथा एमानुएल सोरेन के नेतृत्व में पारम्परिक संताली रीति लोटा पानी तथा पायका नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। मध्यस्थ अधिवक्ताओं के द्वारा अतिथियों को मध्यस्थता पर लिखी गई पुस्तक भेंट की गई। कार्यक्रम में झाल्सा के सचिव नवनीत कुमार ने न्यायमूति पी0पी0भट्ट को, उप सचिव झालसा संतोष कुमार ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को, सचिव डी0एल0एस0 अमरेश कुमार ने पी0डी0जे0 रामधारी यादव को एवं एस0डी0जे0एम0 सचिन्द्र बर्स्वा ने दुमका बार ऐसोसियेसन के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा को भी स्मृति चिह्न प्रदान किया। जिला उद्योग केन्द्र की जादो पटिया चित्रकला के कलाकार श्रीमती शिखा आनन्द ने अतिथियों को जादो पटिया चित्रकला अंकित अंग वस्त्र प्रदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंहासिनी कुमारी, सुमिता सिंह, स्मिता आनन्द, मदन कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया। उद्घाटन सत्र में जब रांची के मध्यस्थ मधुसूदन गांगुली ने मध्यस्थता पर एक कविता सुनायी तो जस्टिस पीपी भट्ट भी खुद को रोक नहीं पाए। उनहोंने माईक थाम लिया और बहुत ही सुरीले आवाज में ''हम न सोचे हमें क्या मिला है .... इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हमें चलें नेक रस्ते पर हमसे भुल कर भी कोई भूल हो ना। ''

प्रशिक्षण का जीवन में बड़ा महत्व

दुमका में आयोजित मध्यस्थ सम्मेलन को सबने सराहा

जागरण संवाददाता, दुमका : मध्यस्थों का दो दिवसीय सम्मेलन सह अग्रणी प्रशिक्षण का समापन रविवार को एक सादे समारोह में समाहरणालय सभागार में संपन्न हो गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से आयी प्रशिक्षक टीओटी एमसीपीसी निशा सक्सेना एवं नगीना जैन ने दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं झालसा के प्रति आभार प्रकट जताते हुए इसे बेहतर शुरुआत कहा।

इस अवसर पर झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार ने कहा कि स्वयं को अपडेट करते रहने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट एवं झालसा झारखंड की पहल पर पूरे देश में पहली बार दुमका में ऐसा आयोजन किया गया। इस प्रकार का प्रशिक्षण पूरे देश में होना चाहिए। उन्होंने जिला न्यायालय तथा जिला प्रशासन की पूरी टीम के प्रति आभार जताया।

प्रशिक्षण देते प्रशिक्षक व उपस्थित प्रशिक्षु।

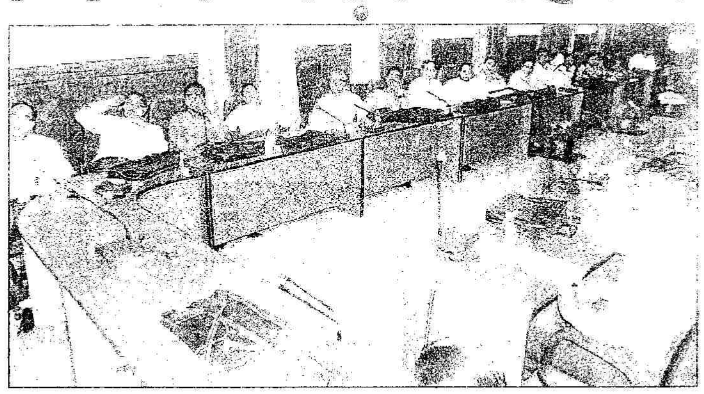

जागरण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव तथा उप निदेशक जनसंपर्क ने भी विचार प्रकट किए। प्रशिक्षण में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग और गढ़वा से 36 मध्यस्थ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सभी मध्यस्थों एवं अतिथियों को स्मृतिचिन्ह भेंट किया गया। शिखा आनंद द्वारा तैयार जादोपटिया चित्र निशा सक्सेना एवं नगीना जैन को भेंट किया गया।

हिन्दुस्तान 28 Sep

मध्यस्थता से कम होगा बोझ: नवनीत

दुमका | प्रतिनिधि

झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार ने कहा है कि मध्यस्थता से अदालतों में केसों का बोझ कम होगा। रविवार को मध्यस्थों के दो दिवसीय सम्मेलन सह अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदस्य सचिव श्री कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में 3 लाख 15 हजार केस लंबित पड़े हुए है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं झालसा झारखंड की पहल पर पूरे देश में पहली बार दुमका में ऐसा आयोजन किया गया। ऐसा प्रशिक्षण देश भर में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिला न्यायालय तथा जिला प्रशासन के पूरी टीम के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्वयं को अपडेट करते रहने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। दो दिवसीय कार्यक्रम का रविवार को समापन हुआ।

मध्यस्थों का सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर में सुप्रीम कोर्ट से आई प्रशिक्षक। • हिन्दुस्तान

समापन समारोह को संबोधित करते हुए दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव ने कहा कि गौरव की बात है कि दुमका में मध्यस्थों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए दुमका तैयार है।

उन्होंने मध्यस्थता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट से आई प्रशिक्षण टीओटी एमसीपीसी निशा सक्सेना एवं नगीना जैन ने दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं झालसा के प्रति आभार प्रकट किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ जस्टिस वीरेन्द्र सिंह ने किया था।

सभी मध्यस्थों एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की गई। लोक कला जादोपटिया चित्र कला की विशेषज्ञ शिखा आनन्द द्वारा बनायी गई जादोपटिया पेटिंग्स सुप्रीम कोर्ट से आयी निशा सक्सेना एवं नगीना जैन को भेंट की गई। इस सम्मेलन सह प्रशिक्षण में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, देवघर, जमताड़ा, हजारीबाग और गढ़वा से 36 मध्यस्थ अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण शिविर

- मध्यस्थों का दो दिवसीय सम्मेलन सह अग्रणी प्रशिक्षण सम्पन्न
- राज्य की अदालतों में 3 लाख 15 हजार केस हैं लंबित

एसपीटी एक्ट पर पुस्तक का विमोचन

स्मारिका में 100 वर्ष की गौरवगाथा

दुमका : दुमका जिला बार एसोसिएशन की ओर से तैयार टू कामेमोरेट मोर दैन 100 इयर्स ऑफ दुमका बार नामक स्मारिका का विमोचन शुक्रवार को झारखंड चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने दुमका जिला बार एसोसिएशन के 100 वां स्थापना दिवस समारोह पर किया। इस मौके पर जस्टिस पीपी भट्ट, डीएन पटेल, झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन, दुमका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा समेत कई गण्यमान्य उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह प्रदान करते अधिवक्ता

दुमका बार के प्रथम अधिवक्ता के पौत्र सम्मानित

दुमका : दुमका जिला बार एसोसिएशन के 100वां स्थापना दिवस समारोह पर दुमका बार के प्रथम अधिवक्ता बेनी माधव चक्रवर्ती के पौत्र देवाशीष चक्रवर्ती को चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर भावुक देवाशीष ने कहा कि यह उनके लिए अविस्मरणीय क्षण है। पेशे से अधिवक्ता देवाशीष अभी कोलकाता में रहकर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा कि दुमका में उनकी विरासत है और वे दुमका को कभी भूल नहीं सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने दादा बेनी माधव चक्रवर्ती की फोटो चीफ जस्टिस को भेंट किया।

प्रथम अधिवक्ता की तस्वीर प्रदान करते अधिवक्ता

जागरण संवाददाता, दुमका : अधिवक्ता अच्युत केशव की लिखी पुस्तक लैंड एंड टेनेंसी लॉ ऑफ संताल परगानास का विमोचन शुक्रवार को झारखंड मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, जस्टिस पीपी भट्ट एवं डीएन पटेल द्वारा किया गया। दो खंडों वाली पुस्तक के प्रथम खंड का ही प्रकाशन अभी हुआ है। श्री केशव दूसरे खंड पर शोध कर रहे हैं। विधि की पुस्तकों के अग्रणी प्रकाशक मल्होत्रा बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 850 से ज्यादा पृष्ठ हैं।

इस पुस्तक में एसपीटी एक्ट, अनुपूरक 1949 की व्याख्या है। इसके पूर्व इस अधिनियम पर कोई भी व्याख्या उपलब्ध नहीं थी। इस अधिनियम के अतिरिक्त भी संताल परगना में लागू जितने भी जमीन संबंधित कानून हैं सभी का संग्रह इस पुस्तक में है। मसलन 1872 का रेगुलेशन तीन और 1886 का रेगुलेशन पुस्तक में की गयी व्याख्या की विशेषता यह है कि इसमें काश्तकारी अधिनियम के सभी विधिक शब्दों की व्याख्या कानून के सिद्धांतों एवं अद्यतन न्याय निर्णय के अनुसार की गयी है। पुस्तक की भूमिका में रियल प्रापर्टी के पाश्चात्य एवं भारतीय कानूनों के संहिता और रुढ़ी तुलना मूलक स्वरूपों की तुलनात्मक चर्चा है। न्यायमूर्ति पीपी भट्ट जो संताल परगना के जोनल जज भी हैं ने विमोचन के पूर्व बताया कि संताल परगना की जमीन संबंधित मामलों के अध्ययन के दौरान इस विषय पर स्तरीय और प्रामाणिक पुस्तकों की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ता था जो अब नहीं शायद नहीं होगा।

पुस्तक की व्याख्यांश की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालयों के निर्णयों एवं सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रख कर की गयी यह शोधपरक व्याख्या सामान्य जनता विधि विशेषज्ञों एवं न्यायालयों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने मंच से ही पुस्तक के अच्युत केशव को बधाई दी और उनकी उपलब्धि को दुमका बार के लिए गर्व का विषय बताया। पुस्तक के लेखक अच्युत केशव अपनी पुस्तक को पूरे संताल परगना में विधि की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मानते हैं। संताल परगना ला कॉलेज में अध्यापन कर चुके केशव का मानना है कि एसपीटी एक्ट की ठोस जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले हर जन प्रतिनिधि, प्रशासक एवं बुद्धिजीवियों के सहायक साबित होगा।

मलूटी मंदिर का मोमेंटो देकर किया सम्मानित

दुमका : दुमका जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपेश्वर झा की अगुवाई में मंच पर विराजमान चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, पीपी भट्ट एवं बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन को मलूटी मंदिर का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता उपेंद्र बिहार लाल, रामजी साह, राजेंद्र बसईवाल, राकेश कुमार, अमिता मंडल, दीपिका मुर्मू, गुंजन कुमारी, किरण तिवारी, सुबोधचंद्र मंडल समेत कई मौजूद थे। इधर मारवाड़ी युवा मंच की महिला शाखा प्रेरणा मंच की ओर से भी इन लोगों को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष अंजना भुवानियां, पूर्व अध्यक्ष रिंकू मोदी एवं सचिव प्रीति मोदी उपस्थित थी।

दैनिक जागरण

आठ साल बाद झारखंड से खेलेंगे धौनी — 17

झारखंड • बिहार • पश्चिम बंगाल • उत्तर प्रदेश • दिल्ली • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर

हजार लंबित मामले जल्द हों निष्पादित

पूरी दुनिया देखे मलूटी मंदिरों का वैभव

- मंदिरों की वास्तुकला देख रोमांचित हुए मुख्य न्यायाधीश
- दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे जीर्णोद्धार कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास

संवाद सहयोगी, शिकारीपाड़ा : मुख्य न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह सपरिवार मलूटी गए और ऐतिहासिक मंदिरों के गांव का अवलोकन किया। कहा- यहां आकर आश्चर्यचकित हैं। कल्पना भी नहीं की थी कि मलूटी में ऐसी सुंदर वास्तुकला तथा शैव, बौद्ध एवं शाक्त धर्म का अद्भुत संगम होगा। इस जगह का ऐसा विकास होना चाहिए कि दुनियाभर से लोग यहां पहुंचे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक अजय नाथ झा ने उनको जानकारी दी कि दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलूटी के मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इससे पूर्व ग्रामीणों ने अतिथियों का पारंपरिक रीति से भव्य स्वागत किया। जस्टिस डीएन पटेल, पीपी भट्ट ने भी मां मौलीक्षा की पूजा अर्चना की। मां मौलिक्षा मंदिर के सचिव कुमुद वरण राय को सम्मानित किया गया।

मलूटी मंदिर से बाहर निकलते मुख्य न्यायाधीश

24 Sep

कार्यक्रम. कल बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में होंगे शरीक

आज दुमका पहुंचेंगे मुख्य न्यायाधीश

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के एमसीपीसी व झालसा द्वारा दुमका में डीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में दो दिवसीय मीडिएटरों के लिए एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम 26-27 सितंबर को आयोजित होगी. सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रामधारी यादव ने बताया कि सभी जिलों के मनोनित 36 मीडिएटरों को सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के एमसीपीसी के मास्टर ट्रेनर निशा सक्सेना और नगीना जैन के द्वारा दो दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मध्यस्थता का ट्रेनिंग दिया जायेगा. उच्च न्यायालय रांची के चीफ जस्टिस विरेंद्र सिंह हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डीएन पटेल, हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह जोनल जज पीपी भट्ट 26 सितंबर को कार्यक्रम का उदघाटन करेंगे. दुमका बार एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जसिटस विरेंद्र सिंह 24 सितंबर को शाम में पहुंचेंगे और राजभवन में ठहरेंगे. 25 सितंबर को बार एसोसिएशन के आयोजित कार्यक्रम के बाद मलूटी व मसानजोड़ जायेंगे. वापस रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे. 26 सितंबर को एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उदघाटन करने के बाद सभी जस्टिस वापस रांची के लिए प्रस्थान करेंगे. प्रेस वार्ता के दौरान प्राधिकार के सचिव अमरेश कुमार, रजिस्ट्रार एसके दूबे, डीपीआरओ अजय नाथ झा आदि मौजूद थे.

प्रेस वार्ता करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश. ■फोटो । प्रभात खबर

अध्यक्ष व महासचिव की सूची

अध्यक्ष	महासचिव
हरिनंदन प्रसाद	विष्णुकांत झा
रामचरण साह	अजय चंद्र चौधरी
रामचरण साह	नंद दुलाल सिन्हा
हरिनंदन प्रसाद	अर्जुन चंद्र पोराई
विष्णुकांत झा	अनंत प्रसाद मिश्रा
भोलानाथ उपाध्याय	शैलेंद्र नारायण
रामेश्वर प्रसाद जायसवाल	शैलेंद्र नारायण
सनाथ राउत	शैलेंद्र नारायण
शेख मनिरुद्दीन	शैलेंद्र नारायण
विष्णुकांत झा	गोपेश्वर प्रसाद झा
गोपेश्वर प्रसाद झा	सुबोध चंद्र मंडल
रामजी साह	सुबोध चंद्र मंडल
राजानंदन प्रसाद	सुबोध चंद्र मंडल
सत्यनारायण भगत	सुबोध चंद्र मंडल
गोपेश्वर प्रसाद झा	सुबोध चंद्र मंडल

अध्यक्ष अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद जायसवाल के कार्यकाल से लेकर अध्यक्ष अधिवक्ता राजानंदन प्रसा के कार्यकाल तक लगातार 12 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पर अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद रहे.

होते थे प्लीडर

वर्ष 1975-76 से पहले एडवोकेट के बदले प्लीडर और मुख्तार हुआ करते थे. बैचलर आफ लॉ की डिग्री वाले को प्लीडर बनाया जाता था और मुख्तार का काम करने वाले को साधाराण परीक्षा पास करनी होती थी. बाद में प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और एलएलबी डिग्री वालों को एडवोकेट की उपाधि दे दी गई.

- राजकिशोर प्रसाद, अधिवक्ता

संघ के सौ वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम कल

दुमका. दुमका जिला अधिवक्ता संघ के 100 वर्ष से ज्यादा होने के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विरेंद्र सिंह के दुमका आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है. कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के अध्यक्ष डीएन पाटेल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह जोनल जज पीपी भट्ट उपस्थित होंगे. संथाल परगना के सभी अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे.

आज पहुंचेंगे हाईकोर्ट के जज

मुख्य न्यायाधीश के साथ हाईकोर्ट के जज 24 सितंबर को पहले बासुकिनाथ में पूजा करेंगे और इसके बाद दुमका राजभवन पहुंचेंगे और रात्रि में विश्राम करेंगे. 25 सितंबर को इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 10.30 बजे पहुंचेंगे. वहां 1.30 बजे रवाना होकर अधिवक्ताओं, बार काउंसिल के सदस्यों, न्यायिक पदाधिकारियों के साथ मेहर गार्डेन में लंच करेंगे. तीन बजे मलूटी जायेंगे और लौटते समय मसानजोड़ डैम होकर वापस राजभवन में रात्रि में विश्राम करेंगे.

1947 में हुई थी बार एसोसिएशन की स्थापना

दुमका बार एसोसिएशन का इतिहास काफी पुराना है. सिविल कोर्ट की स्थापना 1947 में हुई थी. वर्ष 1974 से पहले न्यायिक दंडाधिकारी नहीं हुआ करते थे. एसडीओ (एसडीएम) ही क्रिमिनल और सिविल केस को देखते थे. एसडीएम ही जमानत देते थे और ट्रायल करते थे. सेसन केस के मामले में भागलपुर से जज दुमका आकर केस की सुनवाई करते थे. 500 रूपये से कम के सिविल सूट एसडीएम के यहां दाखिल होता था और केस एडमिट होने के बाद उपसमाहर्त्ता के कोर्ट में न्याय करने के लिए ट्रांसफर किया जाता था. संथाल परगना में संथाल सिविल रूल्स के तहत ही काम होता था. पहले मामला एसडीएम के यहां सुनवाई के लिए पहुंचता था. मामलों का अनील डीसी के यहां उसके बाद कमिशनर के यहां होता था. वर्ष 1983 के पहले संथाल परगना में वर्तमान के छःह जिले समाहित थे. सबसे पहले 1983 में साहेबगंज को जिला बनाया गया उसके बाद देवघर, पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा को जिला बनाकर जिला न्यायालय को अलग किया गया. वर्तमान में संथाल परगना कमिशनरी में पहले छःह जिले समाहित थे और यहीं न्यायिक कार्य होता था.

- रामजी साह, बयोवृद्ध अधिवक्ता

वर्ष 1974 से पहले संथाल परगना में कार्यपालक पदाधिकारी को ही न्यायपालिका का पावर था. इस समय कार्यपालक पदाधिकारियों को पूरे कानून की जानकारी होती थी और लॉ के अनुसार कार्य करते थे.

– जनार्दन प्रसाद यादव, अधिवक्ता

अधिवक्ता संघ कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति

पुराने मामले 2020 तक होंगे खत्म

[दुमका/राज कुमार उपाध्याय]

दुमका में 10 हजार से अधिक मामले लंबित

अच्यूत केशव के पुस्तक का विमोचन करते सीएजे, दोनों जस्टिस, बार काउनसिल के चेयरमैन व सदस्य।

दुमका जिला अधिवक्ता संघ के स्थापना के 100 साल से अधिक पूरा होने पर शहर के इनडोर स्टेडियम में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाशधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यहां वासुकिनाथ को फौजदारी न्यायालय कहा जाता है जहां तुरंत रिलिफ मिलती है पर दुमका जिले में 10 हजार से अधिक पुराने मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में क्रिमिलन मामलों की संख्या 8593 है। यहां 5 साल पुराने 1945 मामले हैं जबकि 5 साल से अधिक पुराने मामलों की संख्या और भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों को 2020 तक निष्पादित करने का वायदा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से किया है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वह न्यायिक पदाधिकारियों को पुराने केशों के निष्पादन में सहयोग करें और लक्ष्य को पूरा करने में सहभागी बनें। सीजे ने कहा कि 2020 के बाद कोशिश होगी कि सिविल वादों का निष्पादन 2 साल के अंदर हो जाये जबकि आपराधिक मामले उससे भी कम समय में निष्पादित कर दिये जायें।

मुख्य न्यायाधीश ने अपने अनुभव के आधार पर युवा अधिवक्ताओं को सलाह दी कि वह अनुभव की शुरूआत ट्रायल कोर्ट से करें। उन्होंने बताया कि वह हरियाणा में अपराधिक मामले देखा करते थे पर हाईकोर्ट से सामग्रियों की कोई मदद नहीं मिलती थी। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने 70 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ता को शुरूके 3-4 साल सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिये तब हाईकोर्ट में शिफ्ट करना चाहिये। जिला और अनुमंडल न्यायालयों में काम करने से कानून की मौलिक जानकारी होगी; क्योंकि हाईकोर्ट में अधिकतर रिट और क्वैश के मामले होते हैं। ट्रायल कोर्ट का अनुभव प्राप्त करने के बाद ही हाई कोर्ट में शिफ्ट करना चाहिये। कुछ अधिवक्ता जिनके पिता, भाई या परिजन हाईकोर्ट में हैं, वह पहले भी हाई कोर्ट में शेष पेज 11 पर

चीफ जस्टिस ने मलुटी के मंदिरों को देखकर कहा, [illegible]

प्रभात खबर 26.9.15

[illegible] विकास हो, कि [illegible]

दुनिया भर से देखने पहुंचे लोग

कहा : सुंदर वास्तु कला तथा शैव, बौद्ध एवं शाक्त धर्म का अद्भुत संगम है मलुटी

[illegible], दुमका

मलुटी के मंदिर समूहों को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने अद्भुत कहा है. उन्होंने कहा: यहां आकर आश्चर्यचकित हूं. मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मलुटी में ऐसी सुन्दर वास्तुकला तथा शैव, बौद्ध एवं शाक्त धर्म का अद्भुत संगम होगा. इस जगह का ऐसा विकास होना चाहिए कि दुनियां भर से इसे देखने के लिए पर्यटक यहां आएं.

इस अवसर पर मौजूद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक अजय नाथ झा ने न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह को इस बात की जानकारी दी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आयेंगे और उसी दिन मलुटी स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य का ऑनलाईन उद्घाटन किया जायेगा.

इससे पूर्व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पारम्परिक रीति से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति पीपी भट्ट का भव्य स्वागत किया गया. मलुटी में माँ मौलिक्षा की पूजा अर्चना के पश्चात मलुटी ग्राम स्थित टेराकोटा मंदिरों का अवलोकन मुख्य न्यायाधीश एवं दोनों न्यायाधीशों ने किया. इस अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा माँ मौलिक्षा मंदिर के सचिव कुमुद वरण राय को सम्मानित भी किया गया. इस क्रम में वे शिरडीधाम साईं मंदिर भी गये.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक से उन्होंने कहा

दो अक्तूबर को दुमका आयेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मलुटी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन

ग्रामीणों ने किया पारंपरिक तरीके से चीफ जस्टिस का स्वागत

मलुटी के मंदिरों को देखने पहुंचे झारखंड के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह. ■ फोटो । प्रभात खबर

संताल की परंपरा

संताल परगना के युवा अधिवक्ताओं को दिये कई टिप्स

चीफ जस्टिस व न्यायमूर्ति की पत्नी को संताल परगना के पारंपरिक पैला व उपहार भेंट करती महिला अधिवक्ता की टीम व कार्यक्रम में मौजूद अतिथि व संताल परगना के विभिन्न जिलों से आये न्यायिक पदाधिकारी.